भाग-2

3. मलन्दर की सम्पदा तथा उनकी प्रलवलिया:ाः -

(1) बोर्ा के ऄवधित्र म ेंसवममवित समस्त चि -ऄचि सपदाओं की पं णा प्रविविया ू बोर्ा करियेगा ं तथा ईनकी पवजकाएं भी सं धां रण करेगा जो बोर्ा के ऄवधकार िेत्र में सवममवित है , जो वनमन ऄनसार होगी ु :-

(क) ऄचि समपदाए वजसमें मं वदर भिनं , धमाशाि ा, औषधाि य, स्कू ि तथा ऄन्य अि ासीय भिन, भखण्ू , जागीर भवमू , माि ी भवमू , कृ वष तथा वसचाइ की भं वम अवद ू सवममवित ह।ै

(ख) मवन्दर के समस्त अभषणावदू ।

(ग) ऄन्य चि सपदाएं जो खराब होने योग्य नहीं हो तथा ईपभोग योग्य नहीं हो।ं

(2) जो प्रविविया तैयार की जाि ेंगी एि सं शोवधत की जाि ेगीं , ि ह बोर्ा द्वारा राज्य सरकार को ि ावषाक प्रस्तत की जाि ेगी।ु

4. **मलन्दर के आभूषणों का सरिणां** :- बोर्ा के वनयत्रण के होते ं हए समस्त अभु षण मूख्य कायापाि क ु ऄवधकारी की सरिा में रहगें ु े तथा ईसकी सहायता के विए बोर्ा द्वारा वनयि ऄन्य ऄवधकारी हो सके गा ु या हो सकें गे।

5. **जेवरों की सरिा ु :-** मवन्दर के जेि रात धात के बक्सों ु, अिमाररयों तथा स्ि ाग रूम में सं रवित रहगें ु े और वजनकी दो चाववबया होंगी। एक चाबी मं ख्य कायापाि क ऄवधकारी के पास तथा दु सरी चाबी बोर्ा

द्वारा ू ऄवधकृ त ऄन्य ऄवधकारी के पास में रहगेी। आसकी प्रविवियों को वनधाारत पवजका में सं चीबद्ध वकया ू जाि ेगा।

6. **भौलतक सत्यापन एव मां लया ू ांकन :-** मवन्दर के अभषणों का भौवतक सत्यापन तू था मलया ू कन मं ख्य ु कायापाि क ऄवधकारी द्वारा बोर्ा से ऄवधकृ त व्यवि के समि प्रत्येक ि षा में एक बार अि श्य वकया जाि ेगा। मलया ूकन वकसी मान्यता प्राि विशेषज्ञ द्वारा करिाया जाि ेगा। भौवतक सत्यापन तथा मं लया ू कन ं की ररपोटा कायापाि क ऄवधकारी द्वारा बोर्ा की ऄगिी बैि क में प्रस्तत की जाि ेगी।ु

7. **मलतड को भेंट स्वरूप प्रदत्त आभू ूषणों की पलजकाां** :- समस्त अभषण अवद जो मू वदर में प्रवतस्थावपत ं मवता को भेंट के रूप में प्राि होते हैं ू , तत्समबन्धी वनधाारत पवजका में ईन्ह े ं ं सचीबद्ध वकया जाि ेगा तथा ू पथक से सेि में रृ खा जाि ेगा जो मख्य कायापाि क ऄवधकारी ि ु बोर्ा द्वारा ऄवधकं ृ त व्यवि की सरि ु में रहगेंे। जब तक ईनको वनयम 3 के ऄन्तगात वनधाारत पवजका में प्रविवियां नहीं कर दी जाि े।ं

8. **जगम और स्थावर सम्पलत्तयों का सां क्रमणां :-** ऄध्यादेश की धारा 19 को समावि करते हु ए समस्त प्रस्ताि जो राज्य सरकार को प्रस्तत वकये जाि े ं गें ि ु ईसी के ऄनं रूप काया समपावदत वकया जाि ेगा ु तथावप बोर्ा ऄपनी बैि क म े ं वनयमानसार वनणाय ि े कर ु 10 हजार रुपये तक के सक्रमण हतें सिम होगा। ु

मख्य कायापाि क ऄवधकारी ु 2000/- रुपये तक की रावश के सक्रमण ं के विए ऄवधकृ त ह ै परन्त ईसका ु ऄनमोदन तत्काि बाद में होने ि ाि ी बोर्ा की बैि क में करि विया जायेगा।ु